मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट 1955 बाबत उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) शहर उत्तर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 56/2016(279/2020) ब उनवानी नाथूलाल बनाम श्रीमती कमला देवी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 5 की ओर से।

निर्णय दिनांक 19.06.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) शहर उत्तर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 56/2016(279/2020) ब उनवानी नाथूलाल बनाम श्रीमती कमला देवी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) उत्तर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।
3. अप्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 14.06.2023 को शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रकरण में सुनवाई तिथि 19.06.2023 नियत की गई।
4. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
5. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट(सहायक कलक्टर) शहर उत्तर के यहां वाद उनवानी नाथूलाल बनाम श्रीमती कमला देवी वगैरह विचाराधीन है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 12.04.2023 नियत है। अप्रार्थी संख्या 5 ऊंची राजनैतिक पहुँच रखता है तथा प्रभावशली व्यक्ति है, जिससे अप्रार्थी संख्या 5 अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उक्त प्रकरण को प्रार्थी के विरूद्ध करवाने पर आमादा है तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी भी अप्रार्थी संख्या 5 के प्रभाव व दबाव में है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में कुछ समय से छोटी तारीख पेशी प्रदान की जा रही है तथा उक्त प्रकरण में ही विशेष रूचि ली जा रही है, जबकि उक्त प्रकरण अधिक पुराना नहीं है, बल्कि वर्ष 2016 से ही लम्बित है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2020 से ही विचाराधीन है, जबकि उक्त न्यायालय में अन्य प्रकरण भी काफी पुराने चल रहे है, लेकिन अन्य पुराने प्रकरणों में रूचि नही लेकर उक्त में ही ज्यादा रूचि ली जा रही है

जिला कलक्टर
जयपुर

तथा प्रार्थी को न्याय से वंचित करने पर आमादा है, जिससे प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर निर्णय दिनांक 05.08.2016 को किया जाकर ता–फैसला दावा उक्त भूमि के संबंध में स्थगन आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को उक्त भूमि के कब्जे उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप बेदखल हस्तान्तरित विक्रय आदि नहीं करने तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द कर रखा है, जिसके विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ तक विचारण हुआ है तथा वर्तमान में राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष लम्बित है। उक्त स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है, इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 5 ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए भू–रूपान्तरण करवा लिया, जिसके विरूद्ध प्रार्थी व अन्य के द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष पुर्नरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई, जिसका दिनांक 21.12.2021 को निर्णय किया गया, जिसके विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में रिट याचिका संख्या 5657/2022 लम्बित है, जिससे यह साबित होता है कि अप्रार्थी संख्या 5 ऊँची राजनैतिक पहुँच रखने वाला प्रभावशाली व्यक्ति है तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 5 के दवाब में है तथा न्याय प्रभावित हो रहा है, जिससे उक्त प्रकरण को किसी प्रभाव में नहीं आने एवं दवाब में काम नहीं करने वाले पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में उचित व आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 5 ने अधीनस्थ न्याालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, सर्वप्रथम जो अप्रार्थी संख्या 5 ने जो उक्त भू–रूपान्तरण करवाया गया है तथा दायरी दावे के समय उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि ही अंकित है तथा कानूनन दायरी दावे की स्थिति ही देखनी है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी व उसके परिजन काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 5 का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है एवं विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार पक्षकारों के अधिकार उक्त राजस्व वाद में ही तय होने है, जिससे राजस्व न्यायालय को ही उक्त वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा भू–रूपान्तरण के संबंध में करवाये गये आदेश के संबंध में मामला राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में लम्बित है तथा मामला सबज्यूडिस है एवं उक्त सभी तथ्य उक्त प्रकरण में तय होने है, जिससे इस स्तर पर विचारण न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार के कोई अधिकारों के संबंध में इस बाबत तय होना संभव नहीं है। इस संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.02.2023 को एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 के दबाव में आकर प्रार्थी के विरूद्ध आदेश दिनांक 05.04.2023 को लिखा जाकर उक्त प्रकरण में नजदीकी तारीख पेशी 12.04.2023 नियत कर दी गई है, जिससे प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर
जयपुर

6. अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने काल्पनिक एवं झूठे कथनों के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने हेतु मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पूर्व में भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है एवं पुनः प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि विचाराधीन मुंतकिल प्रार्थना पत्र के कारण वाद की समस्त प्रोसेडिंग रूक गई है, ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में आज की तारीख पेशी नियत कर विधि अनुसार निर्णय पारित किये जाने के आदेश प्रदान करें।

7. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

8. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) शहर उत्तर, जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 19.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर